पत्रांक–मं०मं०–01/आर०–14/08.......174....../

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार द्विवेदी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक–02/02/2015

विषय :– मंत्रिपरिषद् की बैठकों में विचारार्थ/अनुमोदनार्थ उपलब्ध कराये जाने वाले संलेखों को ससमय उपस्थापन करने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–1354, दिनांक–27.09.2013, 733, दिनांक–20.05.2010 एवं 1769, दिनांक–02.12.2010

महाशय,

प्रासंगिक पत्र का कृपया संदर्भ करना चाहेंगे। उक्त पत्र के द्वारा मंत्रिपरिषद् के बैठकों में विचारार्थ/अनुमोदनार्थ विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये संलेखों (Cabinet Notes) को त्रुटिविहिन ढंग से उपलब्ध कराने तथा संलेखों को ससमय उपस्थापन के संबंध में ध्यान आकर्षित किया गया है।

प्रायः ऐसा पाया जाता है कि विभिन्न विभागों से मंत्रिपरिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने वाले संलेखों को मंत्रिपरिषद् के बैठव के दिन ही उपलब्ध कराये जातें है जिससे संलेखों का सही ढंग से जांच कर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

अतः निदेशानुसार पूर्व के निर्गत पत्रों के आलोक में पुनः अनुरोध किया जाता है कि आप व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हुए मंत्रिपरिषद् की बैठक में रखे जाने वाले संलेखों को पूर्व में निर्गत पत्र के आलोक में त्रुटिविहिन रूप में प्रत्येक शुक्रवार को पूर्वाह्न तक मंत्रिमंडल सचिवालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाए ताकि विभाग द्वारा भी आवश्यक प्रक्रिया अपनाते हुए मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर ससमय सामान्यतः मंगलवार को होने वाले मंत्रिपरिषद् की बैठक में विचारार्थ सम्मिलित किया जा सके।

विश्वासभाजन
02.02.15
(अजय कुमार द्विवेदी)
सरकार के विशेष सचिव
02.02.15